

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
अलीगढ़।

विषय: चिकित्साधिकारी (सामु०स्वा०) को नई पारिभाषित अंशदान पेंशन योजना, (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित करने हेतु जी०पी०एफ० फार्म प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी .....  
पुत्र श्री ..... वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, .....  
जनपद अलीगढ़ में एम०ओ०सी०एच० के पद पर तैनात हैं, एवं आज दिनांक तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अच्छादित हैं। प्रमुख सचिव, (आयुष) उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्र सं०-३३३५ / ९६-१००१(००९) / ९ / २०२५ / ई०-१९५८१४३ दिनांक २५.११.२०२५ एवं निदेशक आयुर्वेदिक सेवायें, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-८२५४ (१-१२) / १८ ए०-६५२ / २०२४ / अधि० दिनांक ०३.१२.२०२५ के क्रम में २७५ चिकित्साधिकारी (सामु०स्वा०) को उत्तर प्रदेश रिटार्मेन्ट बेनिफिट रूल्स-१९६१ के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी प्रणाली से अच्छादित किया गया है। जिसमें प्रार्थी का नाम क्रम सं०-..... पर अंकित है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी के जी०पी०एफ० फार्म, आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित किये जा रहे हैं।

NAME	
PRAN NO.	
ADHAAR NO.	
PAN NO.	

संलग्नक: १-जी०पी०एफ० फार्म तीन प्रतियों में।

२-शासनादेश की छायाप्रति।

३-आधार कार्ड की छायाप्रति।

४-पैन कार्ड की छायाप्रति।

५-प्रान नम्बर की छायाप्रति।

दिनांक:

भवदीय,

( )  
चिकित्साधिकारी (सामु०स्वा०)

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,.....

जनपद अलीगढ़।